

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 01 अक्टूबर, 2026

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक: 01.10.2026 को सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की गई। बिहार की तरफ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल बैठक में शामिल हुए।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर, 2026 को निर्गत निदेश के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे राज्यों में जहाँ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) संचालित है, से संबंधित व्यक्तियों को फॉर्म-6 के अलावा घोषणा-पत्र देने का प्रावधान किया गया है, जबकि वैसे राज्यों जहाँ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समाप्त हो चुका है, वहाँ प्रारूप-6 के साथ घोषणा-पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। वैसे सभी पात्र नागरिक जिनका नाम निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है, और वह अपना नाम निर्वाचक सूची में शामिल कराना चाहते हैं, उन्हें अलग से घोषणा-पत्र देने आवश्यकता नहीं है।

आयोग के उक्त निदेश से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। आम नागरिक जो निर्वाचक होने की अर्हता रखते हैं, उन्हें फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही छूटे हुए निर्वाचकों तथा नए निर्वाचकों के नाम अभियान चलाकर निर्वाचक सूची में जोड़ने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधित को निदेश निर्गत किया गया है।
